राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2008-09

अभियोजन निदेशालय,

(प्रशासनिक विभाग गृह, ग्रुप--10)

राजस्थान, जयपुर

भूमिका :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन अंग है। पहला पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान करती है, दुसरा न्याय पालिका, जो अभियोगीगण का परीक्षण करता है एवं तीसरा पक्ष अभियोजन पक्ष है, जो अपराधियों को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन दण्ड प्रकिया संहिता,1973 में प्रभावी हुई एवं अभियोजन का महत्व देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया,इसी वजह से वर्ष 1974 में राजस्थान में अलग से अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया । अभियोजन निदेशालय के प्रमुख के रूप में विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का सृजन कर इस पद पर निदेशक अभियोजन की पदस्थापना की गयी । दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया एवं नवीन धारा 25–ए जोडी गयी,जिसके फलस्वरूप अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है।वर्तमान में राज्य में विशिष्ठ शासन सचिव पदेन अभियोजन निदेशक के पद को निदेशक अभियोजन के पद में परिवर्तित किया गया है एवं उक्त पद पर पदस्थापना की गई है। अभियोजन की व्यवस्थाओं को गति प्रदान किये जाने हेतु एक–एक उप निदेशक अभियोजन के पदों का सृजन कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर पीठ के लिए किया गया है,उस पर पदस्थापना की गयी है ताकि राज्य के उच्च न्यायालय में लम्बित आपराधिक प्रकरणों पर समुचित रूप से नियंत्रण किया जा सके ।

दण्ड प्रकिया संहिता ,1973 की धारा 25–ए(7) के प्रावधानों की अनुपालना में एक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी लोक अभियोजक/ अपर अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजकों (महाधिवक्ता के अलावा)संभाग स्तर पर उप निदेशक अभियोजन एवं राज्य स्तर पर निदेशक अभियोजन द्वारा समुचित नियंत्रण किया जा रहा है। अभियोजन निदेशालय का प्रशासनिक विभाग गृह ग्रुप–10 विभाग है । पूर्व में इस ग्रुप में उप शासन सचिव,गृह का पद सृजित था को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी किया गया है ।

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1. धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विभिन्न फौजदारी प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु समुचित परीक्षण करना।
2. लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु जिला स्तर पर जो समितियाँ गठित की गयी है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षण कर लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करना।
3. धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।
4. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।

अभियोजन निदेशालय का प्रशासनिक विभाग

गृह (ग्रुप–10) विभाग के स्तर पर नियुक्त अधिकारी

1. विशिष्ठ शासन सचिव गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी
2. सहायक विधि परामर्शी
3. अनुभागाधिकारी

वर्ष 2008 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :–

राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों तथा लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण		वर्ष 2008 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या		92
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या		762
3.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 25.4.06 को की गई घोषणा के कृम में अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के विरूद्ध लम्बित 20 बोतल तक शराब व दो वर्ष तक की सजा के प्रकरणों को निम्नानुसार वापस लिया गया :–		
	1	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वापस लिये गये प्रकरण	7540
	2.	आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वापस लिये गये प्रकरण	3121

प्रशासनिक व्यवस्था : अभियोजन निदेशालय की प्रशासनिक व्यवस्था

क्र.सं.

1. **निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)**
2. उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(मुख्यालय)
5. सहायक लेखाधिकारी
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
7. विधि सहायक/सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक
8. लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार
9. कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
10. जमादार/च.श्रे.कर्मचारी

गृह (ग्रुप–10) विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी

1 सहायक विधि परामर्शी
2 अनुभागाधिकारी
3 वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक
4 मंत्रालयिक स्टाफ
5 च.श्रे. कर्मचारी

निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)

1 उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
2 सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3 सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(मुख्यालय)
4 सहायक लेखाधिकारी
5 वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
6 विधि सहायक/सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक
7 लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार
8 कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
9 जमादार/च.श्रे.कर्मचारी

संभाग स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण

उपनिदेशक अभियोजन (संभाग स्तर पर) (कार्यालय व्यवस्था)

1. निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
2. मंत्रालयिक स्टाफ
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

सहायक निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर)

सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी
(मुख्य न्यायिक मजि. व अपर मुख्यन्यायिक मजि. के न्यायालयों में पैरवी)

सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी
(न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी के न्यायालयों मे पैरवी)

कनिष्ठ लेखाकार

कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ

जमादार/च.श्रे. कर्मचारी

अभियोजन निदेशालय के स्तर पर निम्न कार्य निस्पादित किये जाते है :–

अभियोजन विभाग में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा में सदस्यों का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है एवं तद्पश्चात पदोन्नति प्रदान कर उन्हें अभियोजन सेवा का सदस्य बनाया जाता है। अभियोजन सेवा के सभी अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण इस निदेशालय द्वारा किया जाता है।

अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त चयन सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी पर किया जाता है।

1. **अभियोजन सेवा के सदस्यों** का चयन :– राजस्थान राज्य अधीनस्थ अभियोजन सेवा 1978 के अन्तर्गत सहायक लोक अभियोजक द्वितीय के पद का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के मार्फत किया जाता है।

सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पद से पदोन्नति प्रदान कर राजस्थान अभियोजन सेवा में लिया जाता है। राजस्थान अभियोजन सेवा में उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन एवं सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी के पद है। वर्तमान में अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	विभाग में सृजित पद	अन्य विभागों में सृजित/प्रतिनियुक्ति के पद
1	*निदेशक अभियोजन*	1	–
2	*उप निदेशक अभियोजन/लोक अभियोजक*	11	3
3	***सहायक निदेशक अभियोजन/विशिष्ठ लोक*** */अपर लोक अभियोजक*	41	29
4	**सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी**	185	05
5	**सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी**	323	02
6	**सहायक लेखाधिकारी**	1	–
7	**वरिष्ठ** निजि सहायक	1	–
8	कार्यालय अधीक्षक	6	–
9	निजि सहायक	4	–

10	लेखाकार	1	--
11	कनिष्ठ लेखाकार	23	--
12	विधि सहायक	1	--
13	सांख्यकी सहायक	1	--
14	सांख्यकी निरीक्षक	1	--
15	शीघ्र लिपिक	05	--
16	कार्यालय सहायक	61	--
17	वरिष्ठ लिपिक	256	--
18	कनिष्ठ लिपिक	316	--
19	डाईवर	1	--
20	जमादार	31	--
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	375	--
	योग	1645	39

2. **आधारभूत प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– अभियोजन सेवा के सदस्यों के चयन के उपरान्त उन्हें आधाराभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. समय–समय पर प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। वर्ष 2008–09 में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये वे निम्न है :–

1. एच.सी.एम. राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया :–

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधी/स्थान
1.	2	तीन दिवस दि. 30.6.08 से 2.7.08 जयपुर
2.	6	दो दिवस दि. 20.1.09 से 21.1.09 उदयपुर

2. दिनांक 28.1.09 को अजमेर व जोधपुर संभाग के अभियोजन अधिकारियों की मिटिंग अभियोजन निदेशालय में आयोजित की गई ।

आपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था :– राज्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सदस्यों द्वारा पैरवी की जाती है।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालयों की संख्या	पैरवी की संख्या	पैरवी की व्यवस्था	अन्य सेवा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	300	300	अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक	

				द्वितीय श्रेणी	
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	152	152	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	33	33	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
4.	अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक)	83	76	अपर लोक अभियोजक (अधिवक्ता कोटे से)	
5.	अपर सत्र न्यायालय	101	101	अपर लोक अभियोजक, (15 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(86 अधिवक्ता कोटे से)
6.	विशिष्ठ सैशन न्यायालय	45	45	विशिष्ठ लोक अभियोजक (19 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
7.	सैशन न्यायालय	33	33	लोक अभियोजक (1 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)

4. **बजट की स्थिति** :–इस विभाग का वर्ष 2008–09 के लिये वार्षिक गैर आयोजना मद में बजट का प्रावधान 2874.57 लाख रुपये आवंटित हुआ है। आयोजना मद में वर्ष 2008–09 हेतु भवन निर्माण हेतु राशि 14.46 लाख रुपये का बजट अजमेर व दौसा जिले हेतु आवंटित हुआ ।

5. **आतंरिक जॉच दल** :–

वर्ष 2008 में 24 अधिनस्थ कार्यालयों की आडिट की गई 205 आडिट आक्षेपो को निरस्त कराया गया पूर्व में जारी प्रतिवेदनों में से 11 प्रतिवेदन अंतिम रूप से बंद किये गये ।

6. **विभागीय कार्यवाहियाँ** :– वर्ष 2008 में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के 16 तथा 17 सीसीए की 136 कार्यवाहियों में से 26 कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया, इसके अतिरिक्त कुल 161 प्रारम्भिक जाँचों में से 53 जाँचों का निस्तारण कराया गया। शेष रहीं कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास जारी है।

7. **संस्थापन संबंधी नियंत्रण :–(पदोन्नति एवं नियुक्तियॉ)**

मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग के तीन कार्यालय सहायकों को कार्यालय अधीक्षक के पद पर ,4 वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पद पर तथा 11

कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई। इसके अतिरिक्त 49 कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये। आलोच्य अवधि में 94 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को नियुक्ति दी गई तथा 44 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये । 5 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। 4 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी।

8. **निरीक्षण एवं समीक्षा :–** अभियोजन विभाग के कार्य में गति लाने एवं कार्य की समीक्षा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने की व्यवस्था है, जिससे त्रुटियों का निराकरण कर एवं सुझावों/निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

निदेशालय स्तर पर निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन(मुख्यालय) द्वारा विभाग के उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय के कार्यालयों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों, सुझावों, निर्देशों की पालना सम्बन्धित कार्यालयों से करवाने की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उप निदेशक अभियोजन द्वारा वर्ष में एक बार सहायक निदेशक अभियोजन तथा सहायक लोक अभियोजक प्रथम के कार्यालयों का तथा दो वर्ष में एक बार सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के कार्यालयो का वार्षिक निरीक्षण, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन भिजवायें जाते है।

जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा उनके अधीन पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वर्ष में एक बार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार

किया जाकर प्रतिवेदन भिजवाये जाते है। ततपश्चात अनुपालना रिपोर्ट, सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय में भिजवायी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण निदेशालय स्तर से भी किया जाता है, जिससे गंभीर कमियों बाबत निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाकर प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवायें जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपने अपने जिले में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन निदेशालय भिजवाते है, उनकी पालना भी निदेशालय स्तर पर करवाई जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निदेशालय में प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाती है तथा अपूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही कर पालना पूर्ण करवायी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं समीक्षा बाबत निदेशालय से समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते है।

नोट :– उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर) द्वारा संभाग के अधीनस्थ सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में एक बार तथा सहायक लोक अभियोजक द्वितीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है तथा सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तर द्वारा जिले के अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना होता है।

उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा 213 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । तथा 135 निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

9. **वर्ष 2008 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :–** अभियोजन सेवा के सदस्यों की पैरवी व्यवस्था हेतु राज्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सदस्यों द्वारा पैरवी की जाती है। राज्य में आपराधिक न्यायालयों में वर्षभर के दौरान पेश होने वाले चालान, अन्तिम प्रतिवेदन व प्रकरणों का निस्तारण, सजायाबी आदि के आंकडों को संकलित करना, उनका विवेचन करना है। राजस्थान राज्य के विभिन्न न्यायालयों में अभियोजकगण द्वारा पैरवी समुचित ढंग से हो सके इस हेतु विभागीय आदेशों के अतिरिक्त जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की बैठको का आयोजन किया जाता है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2008 की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 700553 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 179088 (25.6 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 521465 (74.4 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 463299 (66.1 प्रतिशत) थी, जिनमे से 81097 (17.5 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर सजायाबी 43.0 प्रतिशत रही।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित 1814 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 127 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 1687 प्रकरण लम्बित रहें।

वर्ष 2008 में साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 27 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 8 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 19 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत माह वर्ष 2008 तक 5240 प्रकरण विचाराधीन रहे जिनमें में 1382

प्रकरणों का निस्तारण कराया गया। दिनांक 31.12.2008 को 3858 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे । उक्त प्रकरणों में दोष सिद्धि का प्रतिशत 28 रहा ।

वर्ष 2008 में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 27929 प्रकरण विचाराधीन रहे जिनमें से 6737 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, शेष 21192 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे । निर्णित प्रकरणो पर दोष सिद्धी 24.1 प्रतिशत रही।

कानून एवं व्यवस्था से संबंधित विचाराधीन 35033 कार्यवाहियों में से 22877 कार्यवाहियों का निस्तारण कराया गया। निस्तारण कराई गई उक्त कार्यवाहियों में से 11330 कार्यवाहियों में अभियुक्तों को पाबन्द कराया गया तथा शेष कार्यवाहियों में नोटिस निरस्त कराये गये।

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये तथा जगह जगह निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों की जाँच कर औसत स्तर से नीचे मूल्यांकित ब्रीफ तथा भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

———

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

(प्रगति विवरण)

2009-10

अभियोजन निदेशालय

(प्रशासनिक विभाग गृह, ग्रुप–10)

राजस्थान, जयपुर

भूमिका :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान करती है एवं अनुसंधान का नतीजा न्यायालय मे पेश करती है। द्वितीय न्यायपालिका, जो अभियुक्तगण का विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्यायपालिका के मध्य की भूमिका करती है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्यायिक व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन दण्ड प्रकिया संहिता,1973 में प्रभावी हुई एवं अभियोजन का महत्व देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दंड प्रकिया संहिता के प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुए राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय का प्रमुख निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में संशोधन कर एक नवीन धारा धारा 25ए जोडी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया । संहिता की धारा 25ए (7) के प्रावधानो की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर सभी लोक अभियोजक (महाधिवक्ता के अतिरिक्त) अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ठ लोक अभियोजक संभाग स्तर पर उप निदेशक अभियोजन एंव राज्य स्तर पर निदेशक अभियोजन के नियंत्राधीन किये गये है।

अभियोजन निदेशालय का प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग है । इस ग्रुप मे विशिष्ठ शासन सचिव एवं सयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया है।

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1. धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विभिन्न फौजदारी प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु समुचित परीक्षण करना।
2. लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु जिला स्तर पर जो समितियाँ गठित की गयी है, उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षण कर लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करना।
3. धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।
4. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।
5. अभियोजन निदेशाालय के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना

गृह (ग्रुप–10) विभाग में कार्यरत अधिकारीः–

1 .विशिष्ठ शासन सचिव गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी

2 . सहायक विधि परामर्शी

3. अनुभागाधिकारी

वर्ष 2009 में किये गये कार्य का निष्पादित कार्य का प्रगति विवरण :–

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों तथा लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने व अभियोजन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2009 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	109
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	498
3.	राज्य सरकार के स्तर पर जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अन्तर्गत धारा 196 दण्ड प्रकिया संहिता	13

प्रशासनिक व्यवस्था:–

गृह (ग्रुप–10) विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

प्रमुख शासन सचिव, गृह

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

			निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
1	सहायक विधि परामर्शी	1	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
2	अनुभागाधिकारी	2	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3	वरिष्ठ निजी सहायक / निजी सहायक	3	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(मुख्यालय)
4	मंत्रालयिक स्टाफ	4	सहायक लेखाधिकारी
5	च.श्रे. कर्मचारी	5	वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
		6	विधि सहायक / सांख्यिकी सहायक / सांख्यिकी निरीक्षक
		7	लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार
		8	कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
		9	जमादार / च.श्रे.कर्मचारी

अभियोजन निदेशालय की प्रशासनिक व्यवस्था

क्र.सं.

1. **निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)**
2. उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(मुख्यालय)
5. सहायक लेखाधिकारी
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
7. विधि सहायक / सांख्यिकी सहायक / सांख्यिकी निरीक्षक
8. लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार
9. कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
10. जमादार / च.श्रे.कर्मचारी

संभाग स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

उप निदेशक अभियोजन

उपनिदेशक अभियोजन (संभाग स्तर पर)
(कार्यालय व्यवस्था)

1. निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
2. मंत्रालयिक स्टाफ
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

सहायक निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर)

(पैरवी व्यवस्था)

सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी
(मुख्य न्यायिक मजि. व अपर मुख्यन्यायिक मजि. के न्यायालयों में पैरवी)
सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी
(न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी के न्यायालयों में पैरवी)

(कार्यालय व्यवस्था)

कनिष्ठ लेखाकार

कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ

जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

सहायक निदेशक अभियोजन
(विशिष्ठ सैशन न्यायालय, भ्र.नि.अधि)

अभियोजन निदेशालय के कार्य का विवरण :–

1. **अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन** :– अभियोजन सेवा के सदस्यो का चयन सहायक लोक अभियोजक द्वितीय के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के मार्फत किया जाता है। इस हेतु राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियम 1978 बने हुए है।

2. **अभियोजन विभाग में पदोन्नति की व्यवस्था**:– सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर, पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है। सहायक लोक अभियोजक प्रथम, सहायक निदेशक अभियोजन व उप निदेशक अभियोजन के पद राज्य सेवा के पद है । राज्य सेवा के पदो हेतु, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 बनाये गये है। अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	विभाग में सृजित पद	अन्य विभागों में सृजित/प्रतिनियुक्ति के पद
1	*निदेशक अभियोजन*	1	–
2	*उप निदेशक अभियोजन/लोक अभियोजक*	11	3(2 एसीबी + 1 लोक अभियोजक) श्रीगंगानगर
3	*सहायक निदेशक अभियोजन/विशिष्ठ लोक /अपर लोक अभियोजक*	42	29 (16 अपर लोक अभियोजक +11 विशिष्ठ लोक अभियोजक + 1 सी आई डी +1 आर पी ए)
4	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	187	05 (2 जेडीए + 1 पी एच क्य +1 आर पी ए + 1 पी टी एस)
5	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	323	02 (1पी एच क्यू +1 पी टी एस)
6	सहायक लेखाधिकारी	1	–

7	वरिष्ठ निजि सहायक	1	–
8	कार्यालय अधीक्षक	6	–
9	निजि सहायक	4	–
10	लेखाकार	1	–
11	कनिष्ठ लेखाकार	23	–
12	विधि सहायक	1	–
13	सांख्यकी सहायक	1	–
14	सांख्यकी निरीक्षक	1	–
15	शीघ्र लिपिक	05	–
16	कार्यालय सहायक	61	–
17	वरिष्ठ लिपिक	258	–
18	कनिष्ठ लिपिक	320	–
19	डाईवर	1	–
20	जमादार	31	–
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	376	–
	योग	1655	39

3. **आधारभूत प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– अभियोजन सेवा के सदस्यों के चयन के उपरान्त उन्हें आधाराभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4. **समय–समय पर प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। वर्ष 2009 में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये वे निम्न है** :–एच.सी.एम. राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर/ लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया :–

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधी/स्थान
1	6	20.1.2009 से 21.1.2009 दो दिवस जयपुर
2	1	15.7.2009 से 17.7.2009 3 दिवस जयपुर
3	1	16.11.09 से 20.11.09 5 दिवस नई दिल्ली

आपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था :– राज्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सदस्यों द्वारा पैरवी की जाती है।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालयों की संख्या	पैरवी की संख्या	पैरवी की व्यवस्था	अन्य सेवा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	290	290	अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	153	153	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	34	34	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
4.	अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक)	83	76	अपर लोक अभियोजक (अधिवक्ता कोटे से शेष न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण के अलावा अन्य विचारण)	
5.	अपर सत्र न्यायालय	104	104	अपर लोक अभियोजक, (16स.नि. अ. राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
6.	विशिष्ठ सैशन न्यायालय	43	43	विशिष्ठ लोक अभियोजक (11+7 ए सी बी स0नि0अ0 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
7.	सैशन न्यायालय	34	34	लोक अभियोजक (1 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)

5. **बजट की स्थिति** :–इस विभाग का वर्ष 2009–10 के लिये वार्षिक गैर आयोजना मद में बजट का प्रावधान 4023.92 लाख रुपये आवंटित हुआ है। आयोजना मद में वर्ष 2008–09 हेतु भवन निर्माण हेतु राशि 7.21 लाख रुपये का बजट दौसा जिले हेतु आवंटित हुआ ।

6. **आतंरिक जॉच दल** :–वर्ष 2009 में 5 अधिनस्थ कार्यालयों की आडिट की गई 70 आडिट आक्षेपो को निरस्त कराया गया पूर्व में जारी प्रतिवेदनों में से 9 प्रतिवेदन अंतिम रूप से बंद किये गये ।

7. **विभागीय कार्यवाहियाँ** :– वर्ष 2009 में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के 16 तथा 17 सीसीए की 108 कार्यवाहियों में से 26 कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया, इसके अतिरिक्त कुल 159 प्रारम्भिक जाँचों में से 33 जाँचों का निस्तारण कराया गया। शेष रहीं कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास जारी है।

8. **संस्थापन संबंधी नियंत्रण :–(पदोन्नति एवं नियुक्तियॉ)**

मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग इसके अतिरिक्त 210 कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये। आलोच्य अवधि में 2 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को नियुक्ति दी गई तथा 37 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को चयनित वेतनमान/ए0सी0पी0 स्वीकृत किये गये । 22 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। 3 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। 12 सहायक निदेशक अभियोजन को उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति दी गई ।

9. **निरीक्षण एवं समीक्षा** :– अभियोजन विभाग के कार्य में गति लाने एवं कार्य की समीक्षा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने की व्यवस्था है, जिससे त्रुटियों का निराकरण कर एवं सुझावों/निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

निदेशालय स्तर पर निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन(मुख्यालय) द्वारा विभाग के उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय के कार्यालयों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता

है। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों, सुझावों, निर्देशों की पालना सम्बन्धित कार्यालयों से करवाने की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उप निदेशक अभियोजन द्वारा वर्ष में एक बार सहायक निदेशक अभियोजन तथा सहायक लोक अभियोजक प्रथम के कार्यालयों का तथा दो वर्ष में एक बार सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के कार्यालयो का वार्षिक निरीक्षण, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन भिजवायें जाते है।

जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा उनके अधीन पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वर्ष में एक बार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर प्रतिवेदन भिजवाये जाते है। ततपश्चात अनुपालना रिपोर्ट, सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय में भिजवायी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण निदेशालय स्तर से भी किया जाता है, जिससे गंभीर कमियों बाबत निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाकर प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवायें जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपने अपने जिले में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन निदेशालय भिजवाते है, उनकी पालना भी निदेशालय स्तर पर करवाई जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निदेशालय में प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाती है तथा अपूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही कर पालना पूर्ण करवायी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं समीक्षा बाबत निदेशालय से समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते है।

नोट :– उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर) द्वारा संभाग के अधीनस्थ सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में एक बार तथा सहायक लोक अभियोजक द्वितीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है तथा सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तर द्वारा जिले के अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना होता है।

उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा 204 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । तथा 178 निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

10. **वर्ष 2009 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :–** अभियोजन विभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्टेट तक के न्यायलयो मे एवं विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पैरवी संबंधी कार्य निष्पादित किया जाता है। राज्य में न्यायिक मजिस्टेट न्यायलयो मे वर्ष के दौरान पेश होने वाले आरोप पत्र/ अन्तिम

प्रतिवेदन,उक्त न्यायालयो में प्रकरणों का निस्तारण, जिसमे उन्मोचित सजाा एंव दोषमुक्ति संबंधी के आंकडों को संकलित करना, एवं विवेचन करना। राज्य में विभिन्न न्यायालयों में अभियोजकगण द्वारा पैरवी प्रभावी ढंग से किये जाने के संबंध में निदेशालय के स्तर से परिपत्र/आदेश समय समय पर जारी किये गये है इसी के साथ जिला स्तर पर पुलिस एंव अभियोजन अधिकारीयो मे सामंजस्य स्थापित किये जाने के लिए बैठको का आयोजन किया जाता है। इस हेतु विभागीय आदेशों के अतिरिक्त जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की बैठको का आयोजन किया जाता है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2009 की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 751652 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 186131 (25.0 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 556855 (74.9 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 475435 (63.2 प्रतिशत) थी, जिनमे से 69704 (14.6 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर सजायाबी 44.4 प्रतिशत रही।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित 1909 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 77 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 1832 प्रकरण लम्बित रहें।

वर्ष 2009 में साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 24 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 7 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 17 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे।

वर्ष 2009 में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 31972 प्रकरण विचाराधीन रहे जिनमें से 7813 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, शेष 24159 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे । निर्णित प्रकरणो पर दोष सिद्धी 14.4 प्रतिशत रही।

कानून एवं व्यवस्था से संबंधित विचाराधीन 31803 कार्यवाहियों में से 21070 कार्यवाहियों का निस्तारण कराया गया। निस्तारण कराई गई उक्त कार्यवाहियों में से 11593 कार्यवाहियों में अभियुक्तों को पाबन्द कराया गया तथा शेष कार्यवाहियों में नोटिस निरस्त कराये गये।

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये तथा जगह जगह निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों की जाँच कर औसत स्तर से नीचे मूल्यांकित ब्रीफ तथा भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

———

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2010-11

अभियोजन निदेशालय

गृह (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.	विभाग के मुख्य कार्य	3
4.	संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक/पैरवी की व्यवस्था	4
5.	प्रशिक्षण	6
6.	अपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था	7
7.	बजट स्थिति एवं पदोन्नति व नियुक्तियां	7–8
8.	निरीक्षण एवं समीक्षा	8
9.	गतिविधियां एवं प्रगति	10

भूमिका :–

आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान करती है, एवं अनुसंधान का नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो अभियुक्तगण का विचारण करती है एवं तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका करती है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रकिया संहिता,1973" एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन का महत्व देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुऐ राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय का प्रमुख निदेशक अभियोजन को बनाया गया । तत्पश्चात उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में संशोधन कर एक नवीन धारा 25–ए जोडी गयी,जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) में विशिष्ठ शासन सचिव,गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया है।

गृह (ग्रुप–10) विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा
अतिरिक्त मुख्य सचिव ,गृह
विशिष्ठ शासन सचिव ,गृह

	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
1 सहायक विधि परामर्शी	1 उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
2 अनुभागाधिकारी	2 सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3 वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक	3 सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (मुख्यालय)
4 मंत्रालयिक स्टाफ	4 सहायक लेखाधिकारी
5 च.श्रे. कर्मचारी	5 वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/शीघ्रलिपिक
	6 विधि सहायक/सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक
	7 लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार
	8 कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
	9 जमादार/च.श्रे.कर्मचारी

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1 धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणो को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु समुचित समीक्षा करना।

2 लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा ऐसे प्रकरणो को न्यायालय से वापस लिये जाने की अनुषंशा की समीक्षा करना।

3 धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।

4. विशेष अनुमति याचिका आपराधिक एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित कार्य।

5. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।

6. अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना ।

गृह (ग्रुप–10) विभाग में कार्यरत अधिकारीगण

1. विशिष्ठ शासन सचिव गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी
2. सहायक विधि परामर्शी
3. अनुभागाधिकारी

वर्ष 2010 में किये गये कार्य का निष्पादित कार्य का प्रगति का विवरण :–

राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों तथा लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने व अभियोजन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2010 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	29
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	7547
3.	राज्य सरकार के स्तर पर जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अन्तर्गत धारा196 दण्ड प्रकिया संहिता	25

संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक / पैरवी की व्यवस्था

उप निदेशक अभियोजन

↓

↓	↓	↓	
उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर पर) (कार्यालय व्यवस्था) ↓ 1. निजीसहायक,शीघ्र लिपिक 2. मंत्रालयिक स्टाफ 3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक निदेशक अभियोजन (विशिष्ठ सैशन न्यायालय, अ0 नि0 अधि0)	सहायक निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर)	
		↓ (पैरवी व्यवस्था) अतिरिक्त / विशिष्ट लोक अभियोजक (अपर सत्र न्यायालय / विशिष्ठ न्यायालय) सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजि.व अपर मुख्य न्यायिक मजि0के न्यायालयों में पैरवी) सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी (न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी के न्यायलयों में पैरवी)	↓ (कार्यालय व्यवस्था) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालियक स्टाफ जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

अभियोजन निदेशालय के कार्य का विवरण :–

1. अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन :–अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के मार्फत किया जाता है । इस हेतु राजस्थान अभियोजन(अधीनस्थ)अभियोजन सेवा नियम 1978 प्रभावी है ।

2. अभियोजन विभाग में पदोन्नति की व्यवस्था:– सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद

पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रावधान है । सहायक लोक अभियोजक प्रथम ,सहायक निदेशक अभियोजन व उप निदेशक अभियोजन के पद राज्य सेवा के पद है । राज्य सेवा के पदों हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 प्रभावी है । अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क सं	पदनाम	कुल पद	विभाग में सृजित पद	अन्य विभागों में सृजित/प्रतिनियुक्ति के पद
1	*निदेशक अभियोजन*	1	1	–
2	*उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक*	14	11	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्री गंगानगर)
3	*सहायक निदेशक अभियोजन/ विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक*	72	43	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए
4	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	202	196	06 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +1पीटीएस + 1 ए टी एस
5	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	377	375	02(1पीएचक्यू +1पीटीएस)
6	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
7	वरिष्ठ निजि सहायक	1	1	–
8	कार्यालय अधीक्षक	6	6	–
9	निजि सहायक	4	4	–
10	लेखाकार	1	1	–
11	कनिष्ठ लेखाकार	23	23	–
12	विधि सहायक	1	1	–
13	सांख्यकी सहायक	1	1	–
14	सांख्यकी निरीक्षक	1	1	–
15	शीघ्र लिपिक	05	05	–
16	कार्यालय सहायक	61	61	–
17	वरिष्ठ लिपिक	260	260	–
18	कनिष्ठ लिपिक	329	329	–
19	डाईवर	1	1	–
20	जमादार	31	31	–
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	376	376	–
	योग	1768	1728	40

3. आधारभूत प्रशिक्षण :– अभियोजन सेवा के सदस्यों के चयन के उपरान्त उन्हें आधाराभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम :– अभियोजन सेवा के सदस्यों को विधि की नवीनतम जानकारी एवं इनके कार्य में सुधार हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है एवं इस संबंध में विषय से संबंधित विशेषज्ञ से प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था है।

वर्ष 2010–11 में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कि.ये गये वे निम्न है :–एच.सी.एम. राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर/लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली/राजस्थान न्यायिक अकादमी, जोधपुर एवं प्रयत्न संस्थान में निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया :–

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि/स्थान
1	17	.तीन दिवस दि. 17.9.2010 से 19.9.2010 जयपुर
2	01	पॉच दिवस दि. 9.8.2010से 13.8.2010 नई दिल्ली
3	01	तीन दिवस दि.25.8.2010से 27.8.2010 नई दिल्ली
4	01	एक दिवस दि. 30.3.2010 ह0चं0मा0लो0प्र0सं0 जयपुर
5	01	तीन दिवस दि. 28.7.2010 से 30.7.2010 जयपुर
6	01	तीन दिवस दि. 2.8.2010 से 4.8.210 जयपुर
7	01	तीन दिवस दि. 25.8.2010 से 27.8.2010 जयपुर
8	40	तीन दिवस दि. 14.2.2011 से 16.2.2011 R.J.A.जोधपुर
9	40	तीन दिवस दि. 04.3.2011 से 06.3.2011 R.J.A.जोधपुर
10	40	तीन दिवस दि. 12.3.2011 से 14.3.2011 R.J.A.जोधपुर

आपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था :–

राज्य में आपराधिक न्यायालयों में पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालयों की संख्या	पैरवी की व्यवस्था हेतु नियुक्त स. लो. अ. द्वितीय /प्रथम , अ.लो.अ./वि.लो. अ./लो.अ. की संख्या	पैरवी की व्यवस्था	अन्य सेवा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	339	339	अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	160	160	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	35	35	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
4.	अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक)	83	76	अपर लोक अभियोजक (अधिवक्ता कोटे से)	
5.	अपर सत्र न्यायालय	104	104	अपर लोक अभियोजक, (16स.नि. अ. राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
6.	विशिष्ठ सैशन न्यायालय	42	42	विशिष्ठ लोक अभियोजक (11) विशेष न्या.प्र.नि.अ., (5)स0नि0अ0राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
7.	सैशन न्यायालय	35	35	लोक अभियोजक (1 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)

5 बजट की स्थिति :–इस विभाग का वर्ष 2010–11 के लिये वार्षिक गैर आयोजना मद में बजट का प्रावधान 4106.32 लाख रुपये आवंटित हुआ है। आयोजना मद में वर्ष 2009–10 हेतु भवन निर्माण हेतु राशि 0.01लाख का प्रावधान था किन्तु इस वित्तीय वर्ष मे योजना मद में अभियोजन भवन जयपुर के प्रथम तल का निमार्ण कार्य स्वीकृत किया गया है ,जिसकी अनुमति लागत रू010.57 लाख है वित्तीय वर्ष 2010–11 में संशोधित बजट अनुमान में इस भवन क लिये 8.00 लाख एवं अभियोजन भवन दौसा की देन दारियों के लिये रू0 0.45 लाख की मांग की गई है ।

6 आतंरिक जॉच दल :– वर्ष 2010–11 में 18 अधीनस्थ कार्यालयों की आडिट की गई 169 आडिट आक्षेपो को निरस्त कराया गया पूर्व में जारी प्रतिवेदनों में से 14 प्रतिवेदन अंतिम रूप से बंद किये गये ।

7 विभागीय कार्यवाही :– वर्ष 2010 में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के 16 तथा 17 सीसीए की 92 कार्यवाहियों में से 35 कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया, इसके अतिरिक्त कुल 166 प्रारम्भिक जाँचों में से 83 जाँचों का निस्तारण कराया गया। शेष विभागीय कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है।

8 संस्थापन संबंधी नियंत्रण (पदोन्नति एवं नियुक्तियॉ) :–मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग के 128 कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये एवं 15 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई । 10 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। 11 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। आलोच्य अवधि में 3 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को चयनित वेतनमान /ए0सी0पी0 स्वीकृत किये गये। 80 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय को सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति दी गयी है ।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था के सुधार एवं उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान किये जाने के संबंध में ग्रामीण न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत 45 ग्राम न्यायालय स्थापित किये गये हैं इस वजह से 45 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय के पद सृजित किये गये। सहायक लोक अभियोजक द्वितीय के 107 पद रिक्त थे एवं 45 नवसृजित पद कुल 152 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी, के पदो पर अभ्यार्थियों के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अर्धना भिजवाई गई है।

9 निरीक्षण एवं समीक्षा :– अभियोजन विभाग के कार्य में गति लाने एवं कार्य की समीक्षा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने की व्यवस्था है, जिससे त्रुटियों का निराकरण कर एवं सुझावों/निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

निदेशालय स्तर पर निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन(मुख्यालय) द्वारा विभाग के उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय के कार्यालयों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों, सुझावों, निर्देशों की पालना सम्बन्धित कार्यालयों से करवाने की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उप निदेशक अभियोजन द्वारा वर्ष में एक बार सहायक निदेशक अभियोजन तथा सहायक लोक अभियोजक प्रथम के कार्यालयों का तथा दो वर्ष में एक बार सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के कार्यालयो का वार्षिक निरीक्षण, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन भिजवायें जाते है।

जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा उनके अधीन पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वर्ष में एक बार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर प्रतिवेदन भिजवाये जाते है। तत्पश्चात अनुपालना रिपोर्ट, सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय में भिजवायी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण निदेशालय स्तर से भी किया जाता है, जिससे गंभीर कमियों बाबत निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाकर प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवायें जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपने अपने जिले में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन निदेशालय भिजवाते है, उनकी पालना भी निदेशालय स्तर पर करवाई जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निदेशालय में प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाती है तथा अपूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही कर पालना पूर्ण

करवायी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं समीक्षा बाबत निदेशालय से समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते है।

नोट :– उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर) द्वारा संभाग के अधीनस्थ सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में एक बार तथा सहायक लोक अभियोजक द्वितीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है तथा सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तर द्वारा जिले के अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना होता है।

उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा 283 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । तथा 247 निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

10 वर्ष 2010 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :– इस विभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों एवं विशिष्ठ सेंशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पैरवी संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वर्ष के दौरान पेश होने वाले आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन उक्त न्यायालयों में प्रकरणों का निस्तारण जिसमें उन्मोचित, दोष मुक्ति एवं दोष सिद्धी संबंधी आंकडों को संकलित करना एवं विवेचन करना। राज्य में विभिन्न न्यायालयों में अभियोजक गण द्वारा पैरवी प्रभावी ढंग से किये जाने के संबंध में निदेशालय के स्तर से परिपत्र/आदेश समय समय पर जारी किये गये है। इसी के साथ जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों में सामंजस्य स्थापित किये जाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों नें वर्ष 2010 की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 776892 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 180782 (23.2 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 556110 (76.7 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 486103 (62.5 प्रतिशत) थी, जिनमे से 61849 (12.7 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर सजायाबी 44.5 प्रतिशत रही।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित 2125 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 81 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2044 प्रकरण लम्बित रहें।

वर्ष 2010 में साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 24 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 5 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 19 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे।

वर्ष 2010 में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 35381 प्रकरण विचाराधीन रहे जिनमें से 8080 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, शेष 27301 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे। निर्णित प्रकरणो पर दोष सिद्धी 13.1 प्रतिशत रही।

कानून एवं व्यवस्था से संबंधित विचाराधीन 28211 कार्यवाहियों में से 17878 कार्यवाहियों का निस्तारण कराया गया। निस्तारण कराई गई उक्त कार्यवाहियों में से 9884 कार्यवाहियों में अभियुक्तों को पाबन्द कराया गया तथा शेष कार्यवाहियों में नोटिस निरस्त कराये गये।

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये तथा जगह जगह निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों की जाँच कर औसत स्तर से नीचे मूल्यांकित ब्रीफ तथा भा. दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2011-12

अभियोजन निदेशालय,

(प्रशासनिक विभाग गृह, ग्रुप–10)

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	संगठनात्मक ढांचा	3
3.	विभाग के मुख्य कार्य	4
4.	संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक/पैरवी की व्यवस्था	4–5
5.	प्रशिक्षण	6
6.	अपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था	7
7.	बजट स्थिति एवं पदोन्नति व नियुक्तियां	7
8.	निरीक्षण एवं समीक्षा	8
9.	गतिविधियां एवं प्रगति	9–12

भूमिका :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान करती है, एवं अनुसंधान का नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो अभियुक्तगण का विचारण करती है एवं तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका करती है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रकिया संहिता,1973" एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन का महत्व देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुऐ राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय का प्रमुख निदेशक अभियोजन को बनाया गया । तत्पश्चात उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में संशोधन कर एक नवीन धारा 25—ए जोडी गयी,जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप—10) में विशिष्ठ शासन सचिव,गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया है।

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1 धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणो को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु समुचित समीक्षा करना।

2 लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा ऐसे प्रकरणो को न्यायालय से वापस लिये जाने की अनुशंषा की समीक्षा करना।

3 धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।

4. विशेष अनुमति याचिका आपराधिक एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित कार्य।

5. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।

6. अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना ।

गृह (ग्रुप–10) विभाग में कार्यरत अधिकारीगण

1. विशिष्ठ शासन सचिव गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी
2. सहायक विधि परामर्शी
3. अनुभागाधिकारी ९।७।२७

2011
वर्ष 2010 में किये गये कार्य का निष्पादित कार्य का प्रगति का विवरण :–

(1) (2) राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों तथा लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने व अभियोजन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण	2011 वर्ष 2010 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	(29) 266
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या	(7547) 37285
3.	राज्य सरकार के स्तर पर जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अन्तर्गत धारा196 दण्ड प्रकिया संहिता	(25) 4

गृह (ग्रुप–10) विभाग का संगठनात्मक ढांचा

अतिरिक्त मुख्य सचिव ,गृह

विशिष्ठ शासन सचिव ,गृह

निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)

1 सहायक विधि परामर्शी
2 अनुभागाधिकारी
3 वरिष्ठ निजी सहायक / निजी सहायक
4 मंत्रालयिक स्टाफ
5 च.श्रे. कर्मचारी

1 उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
2 सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
3 सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(मुख्यालय)
4 सहायक लेखाधिकारी
5 वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, शीघ्रलिपिक
6 विधि सहायक / सांख्यिकी सहायक / सांख्यिकी निरीक्षक
7 लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार
8 कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालयिक स्टाफ
9 जमादार / च.श्रे.कर्मचारी

संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक / पैरवी की व्यवस्था

उप निदेशक अभियोजन

↓

↓ उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर पर) (कार्यालय व्यवस्था)

↓

1. निजी सहायक,शीघ्र लिपिक
2. मंत्रालयिक स्टाफ
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

↓ सहायक निदेशक अभियोजन (विशिष्ठ सैशन न्यायालय,भ्र0नि0अधि0)

↓ सहायक निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर)

↓ (पैरवी व्यवस्था)

अतिरिक्त / विशिष्ट लोक अभियोजक (अपर सत्र न्यायालय /विशिष्ठ न्यायालय)

सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजि.व अपर मुख्य न्यायिक मजि0के न्यायालयों में पैरवी)

सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी (न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी के न्यायलयों में पैरवी)

↓ (कार्यालय व्यवस्था)

कनिष्ठ लेखाकार

कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालियक स्टाफ

जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

अभियोजन निदेशालय के कार्य का विवरण :–

1. अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन :–अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के मार्फत किया जाता है । इस हेतु राजस्थान अभियोजन(अधीनस्थ)अभियोजन सेवा नियम 1978 प्रभावी है ।

4. अभियोजन विभाग में पदोन्नति की व्यवस्थाः– सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रावधान है । सहायक लोक अभियोजक प्रथम ,सहायक निदेशक अभियोजन व उप निदेशक अभियोजन के पद राज्य सेवा के पद है । राज्य सेवा के पदों हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 प्रभावी है । अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र	पदनाम	कुल पद	विभाग में सृजित पद	अन्य विभागों में सृजित/प्रतिनियुक्ति के पद
1	*निदेशक अभियोजन*	1	1	–
2	*उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक*	14	11	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्री गंगानगर)
3	*सहायक निदेशक अभियोजन/ विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक*	72	43	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए
4	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	203	197	06 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +1पीटीएस + 1 ए टी एस
5	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	377	375	02(1पीएचक्यू +1पीटीएस)
6	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
7	वरिष्ठ निजि सहायक	1	1	–
8	कार्यालय अधीक्षक	6	6	–
9	निजि सहायक	4	4	–
10	लेखाकार	1	1	–
11	कनिष्ठ लेखाकार	24	24	–
12	विधि सहायक	1	1	–
13	सांख्यकी सहायक	1	1	–
14	सांख्यकी निरीक्षक	1	1	–
15	शीघ्र लिपिक	05	05	–
16	कार्यालय सहायक	62	62	–
17	वरिष्ठ लिपिक	261	261	–
18	कनिष्ठ लिपिक	331	331	–
19	डाईवर	1	1	–
20	जमादार	31	31	–
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	377	377	–
	योग	774	734	40

3. आधारभूत प्रशिक्षण :– अभियोजन सेवा के सदस्यों के चयन के उपरान्त उन्हें आधाराभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम :– अभियोजन सेवा के सदस्यों को विधि की नवीनतम जानकारी एवं इनके कार्य में सुधार हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है एवं इस संबंध में विषय से संबंधित विशेषज्ञ से प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था है।

वर्ष 2011–12 में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये राजस्थान न्यायिक अकादमी, जोधपुर एवं भोपाल द्वारा निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया :–

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधी / स्थान
1	40	तीन दिवस दि. 13.10.2011 से 15.10.2011 बीकानेर
2	40	तीन दिवस दि. 3.11.2011 से 5.11.2011 भरतपुर
3	40	तीन दिवस दि. 17.11.2011 से 19.11.2011 अजमेर
4	40	तीन दिवस दि. 28.11.2011 से 30.11.2011 जयपुर
5	01	तीन दिवस दि. 06.1.2012 से 08.1.2012 भोपाल

आपराधिक न्यायालयों में पैरवी व्यवस्था :– राज्य में आपराधिक न्यायालयों में पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालयों की संख्या	पैरवी की व्यवस्था हेतु नियुक्त स. लो. अ. द्वितीय /प्रथम , अ.लो.अ./वि.लो. अ./लो.अ. की संख्या	पैरवी की व्यवस्था	अन्य सेवा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	340	340	अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	156	156	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	36	36	राज्य अभियोजन सेवा के सदस्य सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	
4.	अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक)	83	76	अपर लोक अभियोजक (अधिवक्ता कोटे से)	
5.	अपर सत्र न्यायालय	104	104	अपर लोक अभियोजक, (16स.नि. अ. राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
6.	विशिष्ठ सैशन न्यायालय	42	42	विशिष्ठ लोक अभियोजक (11) विशेष न्या.प्र.नि.अ., (5)स0नि0अ0राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)
7.	सैशन न्यायालय	35	35	लोक अभियोजक (1 राज्य अभियोजन सेवा वर्ग से)	(शेष अधिवक्ता कोटे से)

5. बजट की स्थिति :–इस विभाग का वर्ष 2011–12 के लिये वार्षिक गैर आयोजना मद में बजट का प्रावधान 4638.17 लाख रुपये आवंटित हुआ है। वर्ष 2011–12 के लिए आयोजना मद में अभियोजन भवन जयपुर के प्रथम तल के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए राशि रूपये 4.52 लाख का प्रावधान किया गया है ।

6. आतंरिक जॉच दल :– वर्ष 2011–12 में 11 अधीनस्थ कार्यालयों की आडिट की गई 174 आडिट आक्षेपो को निरस्त कराया गया पूर्व में जारी प्रतिवेदनों में से 7 प्रतिवेदन अंतिम रूप से बंद किये गये ।

7. विभागीय कार्यवाही :– वर्ष 2011 में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के 16 तथा 17 सीसीए की 61 कार्यवाहियों में से 7 कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया, इसके अतिरिक्त कुल 140 प्रारम्भिक जाँचों में से 53 जाँचों का निस्तारण कराया गया। शेष विभागीय कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है।

8 संस्थापन संबंधी नियंत्रण :–(पदोन्नति एवं नियुक्तियॉ) मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग के 60 कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये एवं 06 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। 03 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था के सुधार एवं उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान किये जाने के संबंध में ग्रामीण न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत 45 ग्राम न्यायालय स्थापित किये गये हैं इस वजह से 45 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय के पद सृजित किये गये। कुल 159 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पदों पर अभ्यार्थी के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा दिनांक 1.12.2011 को प्रति योगी परीक्षा आयोजित की गई ।

9 निरीक्षण एवं समीक्षा :– अभियोजन विभाग के कार्य में गति लाने एवं कार्य की समीक्षा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने की व्यवस्था है, जिससे त्रुटियों का निराकरण कर एवं सुझावों/निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

निदेशालय स्तर पर निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन(मुख्यालय) द्वारा विभाग के उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय के कार्यालयों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों, सुझावों, निर्देशों की पालना सम्बन्धित कार्यालयों से करवाने की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उप निदेशक अभियोजन द्वारा वर्ष में एक बार सहायक निदेशक अभियोजन तथा सहायक लोक अभियोजक प्रथम के कार्यालयों का तथा दो वर्ष में एक बार सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के कार्यालयो का वार्षिक निरीक्षण, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन भिजवायें जाते है। जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा उनके अधीन पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वर्ष में एक बार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर प्रतिवेदन भिजवाये जाते है। तत्पश्चात अनुपालना रिपोर्ट, सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय में भिजवायी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण निदेशालय स्तर से भी किया जाता है, जिससे गंभीर कमियों बाबत निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाकर प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवायें जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपने अपने जिले में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन निदेशालय भिजवाते है, उनकी पालना भी निदेशालय स्तर पर करवाई जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निदेशालय में प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाती है तथा अपूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही कर पालना पूर्ण करवायी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं समीक्षा बाबत निदेशालय से समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते है।

नोट :– उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर) द्वारा संभाग के अधीनस्थ सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में एक बार तथा सहायक लोक अभियोजक द्वितीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है तथा सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तर द्वारा जिले के अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना होता है।

उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा 318 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । तथा 297 निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

10. वर्ष 2011 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :– इस विभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में एवं विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पैरवी संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रैट न्यायालयों में वर्ष के दौरान पेश होने वाले आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन उक्त न्यायालयों में प्रकरणों का निस्तारण जिसमें उन्मोचित सजा एवं दोष मुक्ति दोष सिद्वि संबंधी के आंकडों को संकलित करना एवं विवेचन करना। राज्य में विभिन्न न्ययालयों में अभियोजक गण द्वारा पैरवी प्रभावी ढंग से किये जाने के संबंध में निदेशालय के स्तर से परिपत्र/आदेश समय समय पर जारी किये गये है इसी के साथ जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों में सामंजस्य स्थापित किये जाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। इस हेतु विभागीय आदेशों के अतिरिक्त जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष नवम्बर 2011 तक की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 852205 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 278027 (32.62 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 574178(67.38 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 508151 (59.63 प्रतिशत) थी, जिनमे से 101420 (19.96 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर सजायाबी 53.19 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित 2260 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 184 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2076 प्रकरण लम्बित रहें।

वर्ष नवम्बर 2011 तक साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 20 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 3 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 17 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे।

वर्ष नवम्बर 2011 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 38363 प्रकरण विचाराधीन रहे जिनमें से 9675 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, शेष 28688 प्रकरण निर्णित होने शेष रहे । निर्णित प्रकरणो पर दोष सिद्धी 45.96 प्रतिशत रही।

कानून एवं व्यवस्था से संबंधित विचाराधीन 27932 कार्यवाहियों में से 21503 कार्यवाहियों का निस्तारण कराया गया। निस्तारण कराई गई उक्त कार्यवाहियों में से 13838 कार्यवाहियों में अभियुक्तों को पाबन्द कराया गया तथा शेष कार्यवाहियों में नोटिस निरस्त कराये गये।

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये तथा जगह जगह निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों की जाँच कर औसत स्तर से नीचे मूल्यांकित ब्रीफ तथा भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2013-14

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	विभाग के मुख्य कार्य	2
3.	संगठनात्मक ढांचा	3
4.	संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक/पैरवी की व्यवस्था अभियोजन विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति	4–5
5.	प्रशिक्षण	6
6.	बजट स्थिति एवं विभागीय कार्यवाही, अभियोजन निदेशालय के कार्य का विवरण, नियुक्ति एवं पदोन्नति	7–9
7.	निरीक्षण एवं समीक्षा	10–11
8.	गतिविधियां एवं प्रगति	12–13

भूमिका :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रकिया संहिता,1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को कमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1 धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणो को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु प्राप्त प्रकरणों की समुचित समीक्षा करना।

2 लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा की समीक्षा करना है।

3 धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।

4. विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में पेश होने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित कार्य।

5. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।

6. अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना ।

7. इस प्रकोष्ठ से सम्बन्धित सूचना के अधिकार अधिनियम सम्बन्धी कार्य ।

गृह (ग्रुप–10) विभाग में कार्यरत अधिकारीगण

1. विशिष्ठ शासन सचिव गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
2. उप विधि परामर्शी
3. 1. अनुभागाधिकारी
   2. अनुभागाधिकारी, (आर.टी.आई.)

वर्ष 2013–14 में निष्पादित कार्यो का प्रगति विवरण :–

1. केन्द्रीय सरकार ने लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु भष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 बनाया है। इस अधिनियम में दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष सेंशन न्यायालय स्थापित किये गये है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लोक सेवकों के विरुद्ध आय के ज्ञात विधिक स्त्रोतों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामलो का विचारण किया जाता है। ऐसे मामलों के विचारण में विस्तृत दस्तावेज व गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक समय लगता है। ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने , आय के ज्ञात विधिक स्त्रोतों से अधिक अर्जित सम्पत्ति जब्त करने व ऐसी सम्पत्ति के सम्यक निस्तारण करने की दृष्टि से राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 बनाया गया है। उक्त अधिनियम 11 दिसम्बर 2012 को प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् जयपुर व जोधपुर में विशेष न्यायालय स्थापित किये जा चुके है।

2. जयपुर बम ब्लास्ट की सुनवाई हेतु जयपुर में एक विशेष सैशन न्यायालय का गठन किया गया है। जयपुर बम ब्लास्ट से सम्बन्धित कुछ मुलजिमान साबरमति जेल,अहमदाबाद में है। गुजरात प्रशासन द्वारा इन मुलजिमान को जयपुर न भेजे जाने से अन्वीक्षा में विलम्ब हो रहा है । इस वजह से विडियों कान्फ्रेंस के जरिये अन्वीक्षा किये जाने हेतु उक्त न्यायालय में मल्टीपोईन्ट विडियों कान्फ्रेंस की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु एन.आई.सी. को रुपये 3,64,827/– (अक्षरे रुपये तीन लाख चौसठ हजार आठ सौ सत्ताइस रुपये) अग्रिम भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। शीघ्र ही उक्त सुविधा प्रारम्भ हो जायेगी ।

3. विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों, लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने व अभियोजन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2013–14 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा प्रकरणों को वापिस लिये जाने का निर्णय लिया।	56
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये, लघु प्रकृति के प्रकरण	5249
3.	राज्य सरकार के स्तर पर जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अन्तर्गत धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता	14

गृह (ग्रुप–10) विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

अतिरिक्त मुख्य सचिव ,गृह

↓

विशिष्ठ शासन सचिव ,गृह(विधि)

↓

1	उप विधि परामर्शी		निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	अनुभागाधिकारी	1	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) उप निदेशक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ
3	अनुभागाधिकारी आर.टी.आई	2	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	निजी सचिव	3	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
5	अतिरिक्त निजी सचिव	4	वरिष्ठ विधि अधिकारी
6	मंत्रालयिक कर्मचारी	5	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I
7	च.श्रे. कर्मचारी	6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी निरीक्षक
		7	वरिष्ठ निजी सहायक,
		8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II, कनिष्ठ लेखाकार
		9	प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
		10	जमादार/च.श्रे. कर्मचारी

संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक / पैरवी की व्यवस्था

उप निदेशक अभियोजन

(संभाग स्तर पर)

↓

(उप निदेशक अभियोजन कार्यालय का गठन)

(संभाग स्तर पर)

↓

1. निजी सहायक / शीघ्र लिपिक
2. मंत्रालयिक स्टाफ
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(पैरवी व्यवस्था)

↓

1.सहायक निदेशक अभियोजन

(विशिष्ठसैशन न्यायालय,अ0नि0अधि0)

2.अतिरिक्त / विशिष्ट लोक अभियोजक

(अपर सत्र न्यायालय / विशिष्ठ न्यायालय)

3.सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

(मुख्य न्यायिक मजि./ अपर मुख्य न्यायिक मजि0के न्यागालयों में पैरवी)

4.सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी

(न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलयों में पैरवी)

↓

सहायक निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर)

↓

(कार्यालय व्यवस्था)

1.कनिष्ठ लेखाकार

2.प्रशासनिक अधिकारी

3.मंत्रालयिक स्टाफ

4.जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क	पदनाम	कुल पद	विभाग में सृजित पद	अन्य विभागों में सृजित / प्रतिनियुक्ति के पद	
1	*निदेशक अभियोजन*	1	1	—	
2	*उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक*	14	11	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)	
3	*सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक*	84	55	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए)	82
4	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	239	233	06 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +1पीटीएस + 1 ए टी एस	230
5	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	424	422	02(1पीएचक्यू +1पीटीसी) जोधपुर	210
6	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	—	
7	वरिष्ठ निजि सहायक	4	4	—	
8	प्रशासनिक अधिकारी	6	6	—	
9	निजि सहायक	1	1	—	
10	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	—	
11	कनिष्ठ लेखाकार	24	24	—	
12	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	—	
13	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	—	
14	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	—	
15	शीघ्र लिपिक	02	02	—	
16	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	62	62	—	
17	लिपिक ग्रेड – I	278	278	—	
18	लिपिक ग्रेड – II	454	454	—	
19	ड्राईवर	1	1	—	
20	जमादार	31	31	—	
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	393	393	—	
	योग	2024	1984	40	

प्रशिक्षण

1. आधारभूत प्रशिक्षण :– अभियोजन सेवा के सदस्यों के चयन के उपरान्त उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम :– अभियोजन सेवा के सदस्यों को विधि की नवीनतम जानकारी एवं इनके कार्य में सुधार हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है एवं इस संबंध में विधिक विषय से संबंधित विशेषज्ञ से प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था है।

3. वर्ष 2013–14 में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये राजस्थान न्यायिक अकादमी, जोधपुर एवं भोपाल द्वारा निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया:–

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधी	स्थान
1	03	15 से 17 अप्रैल 2013	HCM Ripa Jaipur
2	02	15 से 17 मई 2013	HCM Ripa Jaipur
3	02	29 से 31 मई 2013	HCM Ripa Jaipur
4	02	20 से 24 मई 2013	HCM Ripa Jaipur
5	04	22 अगस्त 2013	HCM Ripa Jaipur
6.	02	9 से 11 अक्टूबर 2013	HCM Ripa Jaipur
7.	01	1 से 5 अप्रैल 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
8.	01	16 से 19 अप्रैल 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
9.	01	23 से 26 अप्रैल 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
10.	01	30 अप्रैल से 2 मई 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
11.	01	6 से 10 मई 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
12.	01	13 से 17 मई 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
13.	01	28 से 30 मई 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
14.	01	3 से 7 जून 2013	लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली
15.	01	11 से 13 मई 2013	न्यायिक अकादमी भोपाल
16.	01	4 से 6 मई 2013	न्यायिक अकादमी भोपाल
17.	51	1 से 2 जून 2013	न्यायिक अकादमी जयपुर
18.	35	22 से 23 जून 2013	न्यायिक अकादमी कोटा
19.	35	15 से 16 जून 2013	न्यायिक अकादमी उदयपुर
20.	60	24 से 25 अगस्त 2013	न्यायिक अकादमी जयपुर

4. अभियोजन अधिकारियों को विधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवायी गई।

बजट की स्थिति

बजट की स्थिति :–इस विभाग का वर्ष 2013–14 के लिये वार्षिक गैर आयोजना मद में बजट का प्रावधान 5400.18 लाख रुपये आवंटित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजना मद में अधीनस्थ कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 91.93 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

राशि रुपये लाखों में

1.	उप निदेशक कोटा कार्यालय हेतु प्रथम तल पर निर्माण कार्य एवं द्वितीय तल पर विभिन्न सहायक लोक अभियोजक कार्यालयों के निर्माण तथा भू तल के नवीनीकरण हेतु ।	25.93
2.	सहायक निदेशक अभियोजन टौंक के भवन निर्माण हेतु	7.86
3.	वर्षा जल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर सहायक निदेशक अभियोजन, पाली सहायक निदेशक अभियोजन, बून्दी	 3.49 2.72 1.93
4.	सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर के भवन निर्माण हेतु	50.00
	योग	91.93

आंतरिक जॉच दल :– वर्ष 2013–14 में 6 अधीनस्थ कार्यालयों की आडिट की गई 62 आडिट आक्षेपो को निरस्त कराया गया पूर्व में जारी प्रतिवेदनों में से 7 प्रतिवेदन अंतिम रूप से बंद किये गये ।

विभागीय कार्यवाही

विभागीय कार्यवाही :– वर्ष 2013 में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के 16 तथा 17 सीसीए की 65 कार्यवाहियों में से 10 कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया, इसके अतिरिक्त कुल 164 प्रारम्भिक जाँचों में से 79 जाँचों का निस्तारण कराया गया। शेष विभागीय कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है।

संस्थापन संबंधी नियंत्रण :–(पदोन्नति एवं नियुक्तियॉ) मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग के 17 कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये एवं 4 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी। राज.लोक सेवा आयोग से 11 कनिष्ठ लिपिक को नियुक्ति दी गयी । 04 मृतक आश्रितों को एवं 3 सीधी भर्ती पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी।

सहायक लोक अभियोजकों का चयन – सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 159 सहायक लोक अभियोजक(द्वितीय) श्रेणी का चयन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने D.B.C.SA(W) No. 698/2013 राज्य बनाम कमलेश कुमार व अन्य का निस्तारण दिनांक 25.10.2013 को करते हुये सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका पेश किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अभियोजन निदेशालय के कार्य का विवरण

1. **अभियोजन सेवा के सदस्यों का चयन** :–अभियोजन सेवा में प्रथम नियुक्ति सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पद पर की जाती है। उक्त पद अधिनस्थ सेवा का पद है। इस हेतु राजस्थान अभियोजन (अधीनस्थ) सेवा नियम 1978 प्रभावी हैं। सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा किया जाता है।

2. **अभियोजन विभाग में पदोन्नति की व्यवस्था**:– सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रावधान है । सहायक लोक अभियोजक प्रथम ,सहायक निदेशक अभियोजन व उप निदेशक अभियोजन के पद राज्य सेवा के पद है । राज्य सेवा के पदों हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 प्रभावी है।

अभियोजन विभाग में वर्ष 2013–14 में निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई है।

(1) सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर 7 पदों पर पदोन्नति दी गई ।

(2) सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन 56 पदों पर पदोन्नति दी गई ।

(3) निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक के 3 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई ।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के 33 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई ।

(5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार के 11 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई ।

इस प्रकार अभियोजन विभाग में वर्ष 2013–14 में लगभग 110 पदोन्नतियां प्रदान की गई है।

3. निरीक्षण एवं समीक्षा

अभियोजन विभाग के कार्य में गति लाने एवं कार्य की समीक्षा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने की व्यवस्था है, जिससे त्रुटियों का निराकरण कर एवं सुझावों/निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

निदेशालय स्तर पर निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन(मुख्यालय)/सहायक निदेशक अभियोजन(सर्तकता) द्वारा विभाग के उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय के कार्यालयों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों, सुझावों, निर्देशों की पालना सम्बन्धित कार्यालयों से करवाने की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर की जाती है।

निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उप निदेशक अभियोजन द्वारा वर्ष में एक बार सहायक निदेशक अभियोजन तथा सहायक लोक अभियोजक प्रथम के कार्यालयों का तथा दो वर्ष में एक बार सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के कार्यालयो का वार्षिक निरीक्षण, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन भिजवायें जाते है। जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा उनके अधीन पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वर्ष में एक बार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाकर प्रतिवेदन भिजवाये जाते है। तत्पश्चात अनुपालना रिपोर्ट, सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय में भिजवायी जाती है।

निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण निदेशालय स्तर से भी किया जाता है, जिससे गंभीर कमियों बाबत निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाकर प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवायें जाते है।

उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निदेशालय में प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाती है तथा अपूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही कर पालना पूर्ण करवायी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं समीक्षा बाबत निदेशालय से समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते है।

नोट :– उप निदेशक अभियोजन (संभाग स्तर) द्वारा संभाग के अधीनस्थ सहायक निदेशक अभियोजन, सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में एक बार तथा सहायक लोक अभियोजक द्वितीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है तथा सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तर द्वारा जिले के अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना होता है।

निदेशक, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा 362 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । 264 निरीक्षण प्रतिवेदनों की पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर. सरला बनाम टी. एस.वेलू. ए.आई.आर. 2000 प्रतिपादित सिद्धन्तों के मध्यनजर इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ.28(26)गृह–10/76 जयपुर दिनांक 15.09.1976 जिसके द्वारा अभियोजन अधिकारियें द्वारा ब्रीफ बनाये जाने की व्यवस्था थी उसे विभागीय परिपत्र कमांक 11(16)गृह–10/13 दिनांक 12.6.13 के कम में अभियोजन की ब्रीफ व्यवस्था/अन्वेषण के नतीजे पर राय देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।

राजस्थान पुलिस रूल्स 1965 के नियम 8.1(3) मे यह प्रावधान है कि अभियोजन अधिकारी पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरान्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आरोप–पत्रों की सूक्ष्मता से जांच/सवींक्षा करें एवं यह देखें कि मुलजिमान पर प्रस्तावित आरोप सिद्ध किये जाने हेतु सभी दस्तावेज या अन्य सुसंगत साक्ष्य आरोप–पत्र के साथ संलग्न है ।

उक्त प्रावधानों को प्रभावी किये जाने हेतु विभाग ने परिपत्र क्रमांक 11(16)गृह–10/13 दिनांक 02.12.2013 को जारी किया।

4. गतिविधियां एवं प्रगति

वर्ष 2013 में उक्त गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति का विवरण :– इस विभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में एवं विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पैरवी संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रैट न्यायालयों में वर्ष के दौरान पेश होने वाले आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन उक्त न्यायालयों में प्रकरणों का निस्तारण जिसमें उन्मोचित सजा एवं दोष मुक्ति दोष सिद्धि संबंधी के आंकडों को संकलित करना एवं विवेचन करना। राज्य में विभिन्न न्यायालयों में अभियोजक गण द्वारा पैरवी प्रभावी ढंग से किये जाने के संबंध में निदेशालय के स्तर से परिपत्र/आदेश समय समय पर जारी किये गये है इसी के साथ जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों में सामंजस्य स्थापित किये जाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। इस हेतु विभागीय आदेशों के अतिरिक्त जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2013 तक की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 751407 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 218173 (29.0 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 533234 (70.2 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 461409 (61.4 प्रतिशत) थी, जिनमे से 77748(16.8 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर दोष सिद्धी 48.9 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह नवम्बर 2013 तक 2685 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 102 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2583 प्रकरण लम्बित रहें। तथा 53.75 प्रतिशत रहा है।

वर्ष अक्टूबर 2013 तक साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 16 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 2 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 14 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष अक्टूबर 2013 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 41502 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से 10718 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, 30784 प्रकरण शेष रहे । निर्णित प्रकरणो पर दोष सिद्धी 39.85 प्रतिशत रही। कानून एवं व्यवस्था से संबंधित निवारणात्मक 25261 कार्यवाहियों में से 17078 कार्यवाहियों का निस्तारण कराया गया। उक्त प्रकरणों में से 12875 प्रकरणों में गैरसायलों को पाबन्द किया गया।

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों की जाँच कर औसत स्तर से नीचे मूल्यांकित ब्रीफ तथा भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

———